

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष (31.12.19 की स्थिति में)

1. अधिकारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो - अशोक कुमार तिवारी (उप पुलिस अधीक्षक)
2. प्रथम नियुक्ति दिनांक/वर्तमान धारित पद - 01.06.1983 उप निरीक्षक, वर्तमान - नगर पुलिस अधीक्षक छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
3. जन्म तिथि - 18.11.1959
4. वर्तमान वेतन - ~~85200~~ (67300-206900) अगली वेतन वृद्धि की तारीख - 01.07.2020

क्र.	उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम जिसमें संपत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईयें कि वह किसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया - खरीदा, पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसमें अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
		गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गंगानगर कालोनी गढा जिला - जबलपुर	घर	संलग्न खाली प्लॉट	50-60 लाख	पत्नी श्रीमती शोभा तिवारी के नाम पर	पत्नी को बसीयत पर 1997-98	Nil	--
2	बरगी कालोनी रामनगर जिला - नरसिंहपुर	दो मंजिला मकान	संलग्न खाली प्लॉट	25-30 लाख	स्वयं के नाम पर	पैत्रिक पिता द्वारा	1.50 लाख	--
3	ग्राम - रिहावर तहसील - उदयपुरा जिला - रायसेन	कृषि भूमि, निवास	--	30-40 लाख	स्वयं के नाम पर	पैत्रिक	03 लाख	--

5. जहां लागू न हो उसे काट दीजिए

6. ऐसे मामले जहाँ मूल्यका सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ के संबंध में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

7. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल है।

टिप्पणी - मध्य-प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माह की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके किसी परिवार के सदस्य के नाम पर किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर

नाम - अशोक कुमार तिवारी  
पद - उप पुलिस अधीक्षक  
विभाग - म.प्र. पुलिस